न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्याः— 24/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
इरफान पुत्र श्री सफी खां जाति सिपाई मुसलमान निवासी हरलाई तहसील ओसियां जिला जोधपुर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित—

प्रार्थी :—अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा।

अप्रार्थी :— सरकारी पैरोकार।

—:निर्णयः—

दिनांक 13/11/19

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः— प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 282/2 रकबा 20 बीघा ग्राम हरलाई पटवार क्षेत्र भीमसागर तहसील ओसियां की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी व मेहबूब खां पुत्र हनीफ खां, सदेखां पुत्र मेन्दे खां के संयुक्त रूप से खरीद की हुई है। उक्त भूमि खरीद के वक्त प्रार्थी का नाबालिक था। प्रार्थी के नाम बेचान नामे में भूलवश यासीन पुत्र सफी खां दर्ज कर दिया उसी अनुसान वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स इत्यादि इरफान के नाम से बने हुए हैं उक्त सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को अनेक [illegible] ों का सामना करना पड़ रहा हैं। राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बैंक ऋण भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:51:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 282/2 रकबा 20 बीघा ग्राम हरलाई तहसील ओसियां जिला जोधपुर में प्रार्थी का नाम यासीन दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम इरफान दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 का प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया। प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा चाही।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का वास्तविक नाम इरफान बताया गया है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम यासीन के स्थान इरफान दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का संशोधित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 282/2 रकबा 20 बीघा ग्राम हरलाई तहसील ओसियां जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में यासीन पि. सफीखां के स्थान पर इरफान पि. सफी खां दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 13/11/17 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:51:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner